



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 14, गुरुवार, शाके 1941-दिसम्बर 5, 2019
Agrahayana 14, Thursday, Saka 1941-December 5, 2019

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, नवंबर 27, 2019

संख्या प.2(44)विधि/2/2015:- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 15 नवंबर, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2019 का अधिनियम संख्यांक 25)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 15 नवंबर, 2019 को प्राप्त हुई)

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1995 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम सं. 23), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) "गोवंशीय पशु" से अभिप्रेत है गाय, बछड़ा, बछिया, सांड या बैल किन्तु इसमें भैंस और उसकी नस्ल सम्मिलित नहीं है;"।

3. 1995 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 में नयी धारा 6-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 6 के पश्चात् और विद्यमान धारा 7 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"6-क. प्रवहण के साधन का अधिहरण.- (1) जब कभी भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिए उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण का कोई भी साधन इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के संबंध में अभिगृहीत किया जाता है तो वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अभिगृहीत करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना की जायेगी और ऐसे अपराध के लिए चाहे अभियोजन संस्थित किया जाये या नहीं, उस क्षेत्र पर, जहां प्रवहण का उक्त साधन अभिगृहीत किया गया था, अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रवहण का उक्त साधन इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए उपयोग में लिया गया था, प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश कर सकेगा:

परन्तु प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश करने से पूर्व, प्रवहण के उक्त साधन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा, और यदि ऐसा स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक् सावधानी बरती थी तो सक्षम प्राधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिहरण नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि जहां प्रवहण का ऐसा साधन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन हो, वहां प्रवहण के ऐसे साधन के अधिहरण का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामला, प्रवहण के साधन के बारे में ऐसे आदेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार उचित समझे:

परन्तु यह भी कि इस उप-धारा के अधीन अधिहरण का आदेश करने के पूर्व, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा:

परन्तु यह भी कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विकल्प नहीं दिया जायेगा, यदि उसे किसी पूर्व अवसर पर उस परन्तुक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

(3) जब कभी भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि लोकहित में या उसके स्वामी के फायदे के लिए यह समीचीन है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए अभिगृहीत,

उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रवहण के साधन का सार्वजनिक नीलाम से विक्रय किया जाये तो वह किसी भी समय उसका विक्रय किये जाने का निदेश दे सकेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी अधिहरण आदेश, ऐसे किसी भी दण्ड के दिये जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका, उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन है।"।

4. 1995 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 में नयी धारा 12-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 12 के पश्चात् और विद्यमान धारा 13 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"12-क. गिरफ्तारी और अभिग्रहण की शक्ति.- सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत कोई व्यक्ति-

- (i) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, गिरफ्तार कर सकेगा या गिरफ्तार करवा सकेगा और ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना ऐसे पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा, जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा;
- (ii) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए उपयोग में लिये जा रहे प्रवहण के किसी भी साधन का अभिग्रहण कर सकेगा या करवा सकेगा और अभिग्रहण की रिपोर्ट, अनावश्यक विलम्ब के बिना, सक्षम प्राधिकारी को करेगा या करवायेगा।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, November 27, 2019

No. F. 2 (44) Vidhi/2/2015.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Go-Vanshiya Pashu (Vadh Ka Pratished Aur Asthayee Pravrajan Ya Niryat Ka Viniyaman) (Sanshodhan) Adhinyam, 2018 (2019 Ka Adhinyam Sankhyank 25):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN BOVINE ANIMAL (PROHIBITION OF SLAUGHTER AND
REGULATION OF TEMPORARY MIGRATION OR EXPORT) (AMENDMENT)
ACT, 2018**

(Act No. 25 of 2019)

(Received the assent of the President on the 15th day of November, 2019)

*An
Act*